बी.डी.शर्मा, अधि.
द्वारा प्रस्तुत
R.M.

RTC
20/2/13

(२)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र.– /निग./2013 R-954-II/13

(1) अच्छेलाल तनय कामता यादव उम्र 60 वर्ष
निवासी सुजानपुरा तहसील बल्देवगढ़
जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....निगरानीकर्ता

बनांम

754
26-2-13

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़
(म.प्र.) — प्रति उत्तरदाता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 195/बी/121/2011–12 स्व–पुनरीक्षण 2011–12/224 टीकमगढ़ दिनांक 30–8–2012 एवं प्राप्त आर्डर सीट दिनांक 8–2–2013 से व्यथित होकर यहं पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय निम्न प्रकार है :–

(1) यह कि श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1395/18 भू–अभि./2012 दिनांक 27–7–2012 द्वारा तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन पर बिना जांच एवं अभिलेख रिकार्ड देखे उक्त प्रकरण तैयार किया है, तथा प्रकरण में नामांतरण को शून्य घोषित करने व उक्त खसरा नंबर को शासकीय घोषित करने के प्रशनांधीन भूमि के सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के विक्रय पत्र के आधार पर स्व–पुनरीक्षण पंजीवद्ध किया है जो कि भूतलक्षी प्रभाव से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

(2) यह कि प्रश्नाधीन भूमि के लिये अ/19(1)/1970–71 में श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 8–8–71 द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु पट्टा दिया था। म.प्र. भू–राजस्व संहिता 165(7)ख के अनुसार विक्रय से सक्षम अधिकारी की

अच्छेलाल यादव

......

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-954/II/13 जिला टीकमगढ़

कुन्दनलाल विरुद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-3-16	प्रकरण में आवेदक अधि० श्री बी०एम० शर्मा (उप०)। आवेदक अधि० द्वारा प्रकरण को आगे न चलाकर समक्ष में वापस लेने का अनुरोध किया गया। आवे० अधि० का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। (नरेश)	पुनरीक्षण वापस ले रहे हैं BMSharma 29/3/16

[कृ. प. उ.